न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास राजकेश मीना आर ए एस)

प्रकरण संख्या 128 / 2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1 संतोष पिता स्व. देबीलाल नाई उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला–भीलवाडा

2 अशोक पिता स्व. देबीलाल नाई उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला–भीलवाडा

3 प्रेम पिता स्व. देबीलाल नाई उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला–भीलवाडा

4 सीमा पुत्री स्व. देबीलाल नाई उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला भील0

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री शिवराज शर्मा वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.04.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षैत्र धनोप तहसील फूलियाकलां की खतौनी संख्या 210 के आराजी संख्या 800 रकबा 0.38 हैक्टयर व खतौनी संख्या 1061 के आराजी संख्या 701 रकबा 0.76 हैक्टयर भूमि स्वं. छीतर पिता मांगीलाल नाई के नाम पर सहखातेदारी / गैरखातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड चली आ रही है। स्व. छीतर नाई प्रार्थीगण के पिता थे, जिनका देहान्त वर्ष 2012 में ही हो चुका है। उनका वास्तविक नाम छीतर नही बल्कि देबीलाल नाई है। प्रार्थीगण के दादा स्व. मांगीलाल नाई की मृत्युपरान्त, प्रार्थीगण के पिता के नाम पर विरासत से खुले नामान्तरकरण में देबीलाल पिता मांगीलाल नाई के स्थान पर त्रूटीयुक्त छीतर पिता मांगीलाल नाई दर्ज राजस्व अभिलेख कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम देबीलाल नाई होने के प्रमाण स्वरूप प्रार्थीगण पक्ष द्वारा आवश्यक पहचान संबधी दस्तावेजात हमराह प्रस्तुत किये गये है। उक्त लिपिकीय त्रुटी आदिनांक तक अनवरत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षैत्र धनोप तहसील फूलियाकलां की खतौनी संख्या 210 के आराजी संख्या 800 रकबा 0.38 हैक्टयर व खतौनी संख्या 1061 के आराजी संख्या 701 रकबा 0.76 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के पिता का नाम छीतर पिता मांगीलाल नाई के स्थान पर देबीलाल पिता मांगीलाल नाई दुरूस्तीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 14.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी को जारी सम्मन / नोटीस विधिवत तामील होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है, किन्तु विपक्षी राज्य पक्ष की और से प्रतिरोध पत्रावली पर अब तक उपलब्ध नही हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी

नियत सुनवाई 12.04.2023 पर भी विपक्षी स्वंय अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधी अपना पक्ष रखने/पेरवी करने हाजिर नही आये, लिहाजा विरूद्ध विपक्षी एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर अध्ययन व मनन उपरान्त, न्यायालय प्रा.पत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य मानता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार करते हुए तहसीलदार फूलियाकलां को यह निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षैत्र धनोप तहसील फूलियाकलां की खतौनी संख्या 210 के आराजी संख्या 800 रकबा 0.38 हैक्टयर व खतौनी संख्या 1061 के आराजी संख्या 701 रकबा 0.76 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों प्रार्थीगण के पिता का नाम छीतर पिता मांगीलाल नाई के स्थान पर देबीलाल पिता मांगीलाल नाई दुरूस्तीकरण किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 128/2022 दिनांक 28.04.2023

प्रतिलिपि–

तहसीलदार फूलियाकलां को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा